भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 325

23 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू 2.0 और ब्याज राज सहायता संबंधी दावों के कार्यान्वयन की स्थिति

325 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के शुभारंभ के बाद से संस्वीकृत और निर्मित मकानों की कुल संख्या कितनी है तथा 1 करोड़ घरों के निर्माण के प्रथम चरण के पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में ऋण आधारित राज सहायता योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) की श्रेणियों को संवितरित की गई ब्याज राज सहायता की कुल राशि कितनी है; और

(ग) क्या सरकार उन लाभार्थियों को जिन्होंने छत तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, केंद्रीय सहायता की अंतिम किस्त जारी करने में लंबे समय से हो रहे विलम्ब से अवगत है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 और ब्याज राज सहायता संबंधी दावों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दिनांक 23.03.2026 को उत्तर दिए के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 325* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-यू को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए सीएलएसएस घटक 31.03.2021 को और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) के लिए सीएलएसएस घटक 31.03.2022 को समाप्त हो गया। पीएमएवाई-यू योजना की अवधि को निर्माणाधीन आवासों (31.03.2024 से पहले स्वीकृत) को पूरा करने और एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए 30.09.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप देकर पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने हेतु देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, जबकि आईएसएस घटक को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 125.15 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.67 लाख आवास शामिल हैं। देश भर में दिनांक 02.03.2026 तक 125.15 लाख स्वीकृत आवासों में से 116.57 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 97.30 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएनए को 2.09 लाख करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से 1.77 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। जारी की जा चुकी कुल केंद्रीय सहायता में से, अब तक पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के

सीएलएसएस/आईएसएस घटक के तहत 25.88 लाख लाभार्थियों को कुल 59,254 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी संवितरित की जा चुकी है। इसमें से चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आईएसएस घटक के 84,102 लाभार्थियों को 386 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 69,864 लाभार्थी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के हैं। इस योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

(ग) पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को केंद्रीय सहायता 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में जारी की जाती है। 20% केन्द्रीय सहायता की अंतिम किस्त रूफ लेवल पर नहीं बलिक आवास/परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जारी की जाती है। केन्द्रीय सहायता जारी करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालनों को पूरा करने पर भी निर्भर है, जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना, लाभार्थियों की आधार सीडिंग, तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), आवासों/परियोजनाओं के निर्माण चरणों की प्रगति की जियो-टैगिंग, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के तहत साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)/ 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) परियोजनाओं का पंजीकरण और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देश आदि।

मंत्रालय योजना कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और तदनुरूप निधियाँ जारी करने के लिए अपेक्षित अनुपालन प्रस्तुत करने में तेजी लाने के साथ-साथ स्वीकृत आवासों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। वर्तमान में, एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के तहत पर्याप्त निधियां उपलब्ध है। लाभार्थियों को निधियां राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मूल स्वीकृति के आधार पर एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल से जारी की जाती हैं। वर्तमान में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के तहत पर्याप्त मूल स्वीकृतियाँ है।
